

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी एवं अधिवेश सं. 148/2019-19

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

दिनांक	आदेश कलक	अभिप्रेति
15/3/19	झारखंड सरकार के आदेश-2074/रा0 दिनांक-13.05.2018 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0 ग0 निवि-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है- मौजा <u>कीसकुरा</u> मौजा न0- <u>12</u> खाता न0 <u>142</u> प्लॉट न0 <u>1300</u> रकबा <u>4.95 बीघा</u> की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पत्ती-11 के जिल्द संख्या <u>31</u> के पृष्ठ संख्या <u>6291</u> पर जमाबंदी रैयत <u>सीपी जीता</u> के नाम से कायम है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार प/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतः- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर अंचल-निरीक्षक का मंतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक <u>29/3/19</u> को रखे।	
	अंचल अधिकारी, धनबाद।	


20/3/17

अभिलेख उपस्थापित। अवलोकन कार्यालय में जाया करने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।
अभिलेख दिनांक 12/4/19 को रखें।


अंचल अधिकारी,
धनबाद।


12/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अवलोकन कार्यालय में जाया करने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।
अभिलेख दिनांक 26/4/19 को रखें।


अंचल अधिकारी,
धनबाद।

13/6/20


अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 24/6/20 को रखें।



अंचल अधिकारी,
धनबाद।

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि गौजा कीम भुवना मौजा नं० 12 खाता 142 प्लॉट नं० 1300, रकबा 4.95 बीघे भूमि से संबंधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित भूमि दाखिल खारिज केस नं० 135 (A) 16-12 के अनुसार कायम है। तत्कालीन अंचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को संदेहास्पद माना गया है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधत।


अंचल अधिकारी,
धनबाद।


अंचल अधिकारी,
धनबाद।